बिहार विधान सभा

की

शून्यकाल समिति

का

101वाँ प्रतिवेदन

(पंचायती राज विभाग)

(बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति द्वारा प्रकाशित)

(दिनांक 19-02-24 ई० को सदन में उपस्थापित)।

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. शून्यकाल समिति के सदस्यों तथा समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।	क
2. प्राक्कथन	ख
3. प्रतिवेदन	1-5
4. परिशिष्ट	6-29

बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति के सदस्यों की सूची

सभापति

1.	श्री नीतीश मिश्रा	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	श्री निरंजन राय	स०वि०स०
2.	श्री लखेन्द्र कुमार रौशन	स०वि०स०
3.	श्री राजेश कुमार सिंह	स०वि०स०
4.	श्री सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन	स०वि०स०
5.	श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया	स०वि०स०
6.	श्री अरूण सिंह	स०वि०स०
7.	श्री आलोक रंजन	स०वि०स०
8.	श्री देवेश कांत सिंह	स०वि०स०
9.	श्री केदार प्रसाद गुप्ता	स०वि०स०
10.	श्री नीरज कुमार सिंह	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

1.	श्री पवन कुमार पाण्डेय	प्रभारी सचिव
2.	श्री असीम कुमार	निदेशक
3.	श्री अभय शंकर राय	उप-सचिव
4.	श्री सुधांशु राय	प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्रीमती सुषमा	सहायक
6.	श्रीमती उषा कुमारी	सहायक
7.	श्री संजय भारती	सहायक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, शून्यकाल समिति, बिहार विधान सभा, पटना की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में पंचायती राज विभाग संबंधित द्वितीय सत्र से सप्तम सत्र तक के विभिन्न तिथियों में माननीय सदस्य श्री भरत बिन्द, स०वि०स०, श्री कृष्णनन्दन पासवान, स०वि०स०, श्री मुकेश कुमार यादव, स०वि०स०, श्री मनोज मंजिल, स०वि०स०, श्री विजय कुमार, स०वि०स०, श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स०, श्री राज कुमार सिंह, स०वि०स०, श्री राजवंशी महतो, स०वि०स०, श्री संदीप सौरभ, स०वि०स० श्री सुनील मणि तिवारी, स०वि०स०, श्री सूर्यकांत पासवान, स०वि०स०, श्री ललन कुमार, स०वि०स०, श्रीमती मंजु अग्रवाल, स०वि०स०, श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स०वि०स०, श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स०, डॉ० संजीव कुमार, स०वि०स०, श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स०, श्री संजय सरावगी, स०वि०स०, श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स०, श्री सुरेन्द्र मेहता, स०वि०स० द्वारा सदन में लाये गये शून्यकाल सूचनाओं पर शून्यकाल समिति का 101वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

पंचायती राज विभाग से संबंधित उपर्युक्त माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल सूचनाओं के निष्पादन में विभागीय पदाधिकारियों ने अपना सहयोग प्रदान किया है ।

अंत में प्रतिवेदन तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिन्होंने व्यक्तिगत रूचि लेकर यह कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया है, को भी मैं धन्यवाद देता हूँ ।

नीतीश मिश्रा,

सभापति,

शून्यकाल समिति,

बिहार विधान सभा ।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन

पंचायती राज विभाग से संबंधित प्रतिवेदन ।

सतरहवीं बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र से सप्तम सत्र तक में पंचायती राज विभाग से संबंधित पूछे गए कुल शून्यकाल सूचनाओं की संख्या-47 है । जिसमें से अभी तक 20 माननीय सदस्यों के शून्यकाल सूचनाओं का उत्तर बिहार विधान सभा को प्राप्त हुआ है । शून्यकाल समिति की समीक्षा बैठकों में कुल 23 शून्यकाल सूचनाओं के उत्तर को कार्यान्वित माना गया है । जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम	शून्यकाल का विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि	विभाग को भेजे गए पत्रांक/ दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक
1.	श्री भरत बिन्द, स0वि0स0	जिला कैमूर सहित बिहार में नियुक्त 1,14,691/-पंचायत वार्ड सचिवों की चार वर्षों से कोई भत्ता या राशि नहीं दिया गया है । भूखे वार्ड सचिवों को स्थायी सरकारी कर्मचारी घोषित कर मानदेय एवं भत्ता का भुगतान जल्द से जल्द कराने के संबंध में ।	01.12.21	पंचायती राज विभाग 31/21-3447 29.11.2021	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-425, दिनांक-19.01.2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-I
2.	श्री कृष्णानन्दन पासवान, स0वि0स0	पंचायती राज व्यवस्था के अधीन ग्राम कचहरी के पंच, सरपंच का मौलिक अधिकारी में हथकड़ी विधान परिषद् चुनाव में मतदान का अधिकार, न्यायकर्मी जैसा सुविधा, चौकीदार द्वारा सहयोग, पेंशन की सुविधा, विकासात्मक कार्यों में भागेदारी देने की मांग के संबंध में ।	10.03.22	पंचायती राज विभाग 09/22-1683 18.04.2022	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-5734, दिनांक-21.06.2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-II
3.	श्री मुकेश कुमार यादव,स0वि0स0	बिहार राज्य अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद् सदस्य एवं जिला परिषद् अध्यक्ष को मानदेय भत्ता दुगुना करने तथा पेंशन सुविधा देने की मांग के संबंध में ।	07.03.22	पंचायती राज विभाग 06/22-1332 01.04.2022	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-5622, दिनांक-20.06.2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-III
4.	श्री मनोज मंजिल स0वि0स0	बिहार में 1,14,691 वार्ड सचिव विगत 4 वर्षों से सात निश्चय योजना में कार्यरत रहे है । आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे वार्ड सचिवों को स्थायी कर उचित मानदेय के साथ सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिये जाने की माँग के संबंध में ।	03.12.21	पंचायती राज विभाग 33/21-3335 17.12.2021	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-796, दिनांक-दिनांक-04.02.2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-IV
5.	श्री विजय कुमार, स0वि0स0	पंचायत जन प्रतिनिधि भी जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आते है और जनकल्याण में अपनी अहम भागीदारी निभाते है । पंचायत प्रतिनिधियों के हित में सांसद और विधायक के तौर पर पद के अनुरूप पेंशन योजना शुरू करने के संबंध में ।	07.03.23	पंचायती राज विभाग 06/22-1378 01.04.2022	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-5621,दिनांक-20.06.2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-V

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम	शून्यकाल का विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि	विभाग को भेजे गए पत्रांक/ दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक
6.	श्री पवन कुमार जायसवाल, स0वि0स0	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के मुखिया, उप मुखिया, वार्ड, सरपंच, उप सरपंच, पंच, प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पार्षद, नगर निगम के मेयर, उप मेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के मानदेय को महंगाई को देखते हुए तीन गुणा राज्य सरकार से शीघ्र कराने की मांग के संबंध में ।	10.03.22	पंचायती राज विभाग 09/22-1685 18.04.2022	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-5624,दिनांक-20.06.2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- V।
7.	श्री राज कुमार सिंह, स0वि0स0	बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र का मासिक मानदेय वर्ष 2015 से 7000/- (सात हजार) रूपये मात्र है । इस महंगाई के दौड़ में इनकी योग्यता एवं पद के अनुरूप सम्मानजनक मानदेय वृद्धि और सेविदा स्थायी करने की मांग के संबंध में ।	08.03.22	पंचायती राज विभाग 07/22-1502 04.04.2022	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-5732, दिनांक-21.06.2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- VII
8.	श्री राजवंशी महतो,स0वि0स0	बेगूसराय जिला सहित राज्य के सभी जिलों में कार्यरत पंचायत सचिवों का विगत वर्ष से मानदेय का भुगतान नहीं होने से भूखों मरने पर विवश है । तथा वे सब आन्दोलन कर रहे है । अतएव इनके बकाये मानदेय का भुगतान जनहित में अविलम्ब कराने के संबंध में ।	01.12.21	पंचायती राज विभाग 31/21-3446 29.12.2021	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-795, दिनांक-04.02.2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-VIII
9.	श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0	पंचायती राज विभाग द्वारा 2016-17 में 1,14,691/-वार्ड सचिवों की बहाली हुयी थी । इनसे सरकार ने बिना किसी मानदेय के 4 साल तक विभिन्न योजनाओं में काम लिया । अब इन्हें हटाने की तैयारी चल रही है । सभी वार्ड सचिवों को मानदेय के साथ स्थायी करने की मांग के संबंध में ।	02.12.21	पंचायती राज विभाग 32/21-29 06.01.22	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-797, दिनांक-04.02.2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-IX
10.	श्री सुनील मणि तिवारी,स0वि0स0	वर्ष 2007 में राज्य में सेविदा के आधार पर ग्राम कचहरी सचिव को नियोजित की गयी थी । जिसका मानदेय 6,000/- है । इतनी महंगाई में मात्र 6,000/- रूपये में इनका भरण-पोषण नहीं हो पाता है । इनकी स्थायी नियुक्ति कर मानदेय बढ़ाने की मांग के संबंध में ।	28.03.22	पंचायती राज विभाग 13/22-1790 25.04.2022	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-6560, दिनांक-15.07.2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट-X
11.	श्री सूर्यकांत पासवान,स0वि0स0	पिछले 14 वर्षो से राज्य के ग्राम कचहरियों में अपनी सेवा देने वाले कचहरी सचिव को मात्र छः हजार मानदेय दिया जाता है । कचहरी सचिव को स्थायी करने के साथ वेतनमान एवं नगर में विलीन हुए पंचायत के सचिवों को अन्य पंचायत में समायोजित करने की मांग के संबंध में ।	29.03.22	पंचायती राज विभाग 20/22-1912 11.05.2022	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-5894, दिनांक-24.06.2022 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- XI

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम	शून्यकाल का विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि	विभाग को भेजे गए पत्रांक/ दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक
12.	श्री ललन कुमार, स0वि0स0	पीरपैंती एवं कहलगाँव प्रखंड के कार्यपालक सहायक, पंचायत सचिव, आवास सहायक, रोजगार सेवक, कृषि सलाहकार, अपने-अपने पंचायत में रहने की बजाय प्रतिदिन प्रखंड मुख्यालय में जमावड़ा लगा कर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है । दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के संबंध में ।	11.03.22	पंचायती राज विभाग 10/22-1570 18.04.2022	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-7064, दिनांक-26.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट- XII
13.	श्रीमती मंजु अग्रवाल,स0वि0स0	बिहार में जितने भी ग्राम पंचायत कचहरी है, जिसका उन्नयन नगर पंचायत में होने के पश्चात् वहाँ सुविधा पर कार्य करने वाले न्याय मित्र, सचिवों का समायोजन उचित मानदेय एवं उम्र सीमा बढ़ाने की मांग के संबंध में ।	28.02.22	पंचायती राज विभाग 01/22-767 07.03.2022	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-2725, दिनांक-21.03.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट- XIII
14.	श्रीमती प्रतिमा कुमारी,स0वि0स0	पंचायत वार्ड सचिव, 2017 से मुख्यमंत्री सात निश्चय के तहत कराये जा रहे कार्यों का कार्यान्वयन कर रहे है । लेकिन इन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है । पंचायत वार्ड सचिवों को मानदेय दिलाने की मांग के संबंध में ।	14.03.22	पंचायती राज विभाग 11/22-1721 18.04.2022	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-4634 दिनांक-24.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट- XIV
15.	श्रीमती शालिनी मिश्रा,स0वि0स0	पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के अंतर्गत आजादी के पूर्व का भवन, जिसमें राजस्व कचहरी चल रहा था को अचानक 06.03.22 को बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति लिये कार्यपालक पदा0 केसरिया नगर पंचायत द्वारा तोड़ दिया गया है । जाँच कराकर कार्रवाई करने की मांग के संबंध में	30.03.22	पंचायती राज विभाग 21/22-2021 12.05.2022	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-6562, दिनांक-15.07.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट- XV
16.	डॉ0 संजीव कुमार, स0वि0स0	बिहार राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों(मुखिया-2500,पंचायत समिति सदस्य-1000,वार्ड सदस्य-500) रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है । इस महंगाई के दौर में यह मानदेय जनप्रतिनिधियों के साथ मजाक है । पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिमाह मानदेय बढ़ाने तथा अधिकारियों द्वारा सम्मान देने की मांग के संबंध में ।	09.03.22	पंचायती राज विभाग 08/22-1618 18.04.2022	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-5731, दिनांक-21.06.22 द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट- XVI
17.	श्री विजय कुमार खेमका,स0वि0स0	पुर्णियाँ जिल सहित राज्य के लगभग तीन लाख ग्राम रक्षा दल के जवान पंचायती राज के अधीन सरकारी योजनाओं, सामाजिक, धार्मिक उत्सवों में सुरक्षा सेवा देते है परन्तु उन्हें मानदेय या सहयोग राशि नहीं मिलता है । ग्राम रक्षा दल के सराहनीय कार्य हेतु इन्हें मानदेय तथा वर्दी भत्ता देने की मांग के संबंध में ।	03.03.21	पंचायती राज विभाग 09/21-860 13.03.2021	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-3529, दिनांक-15.07.21द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट- XVII

क्र0सं0	माननीय सदस्यों के नाम	शून्यकाल का विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि	विभाग को भेजे गए पत्रांक/ दिनांक	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक
18.	श्री पवन कुमार जायसवाल, स0वि0स0	राज्य में मुख्यमंत्री नल-जल योजना में वार्ड सचिव को अनुरक्षक रखने में प्राथमिकता देने के विभागीय निर्देश को दरकिनार कर सैकड़ों जगह अन्य लोगों को अनुरक्षक रखा गया है । वार्ड सचिव को अनुरक्षक के रूप में रखने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग के संबंध में ।	03.03.21	पंचायती राज विभाग 09/21-862 13.03.2021	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-434, दिनांक-19.01.22द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट- xviii
19.	श्री राजवंशी महतो, स0वि0स0	बेगूसराय जिला में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुरक्षकों की बहाली में घाई-घतीजावाद एवं रिश्वतखोरी एवं अन्य धांधलियों पर आम नागरिक के हितार्थ प्रतिबंध लगाये जाने के संबंध में ।	09.03.21	पंचायती राज विभाग 13/21-1023 19.03.2021	पंचायती राज विभाग द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- xix
20.	श्री संजय सरावगी, स0वि0स0	दरभंगा समेत राज्य के अधिकांश जिलो में ग्राम कचहरी सचिव क मानदेय 24 माह का बाकी है । इनको मानदेय भी 6000/- रूपये प्रतिमाह मिलता है जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है । अविलम्ब बकाया मानदेय का भुगतान एवं मानदेय में बढ़ोतरी की मांग के संबंध में ।	18.03.21	पंचायती राज विभाग 19/21-1387 13.04.2021	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-6534, दिनांक-17.11.2021 द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- xx
21.	श्री अरूण शंकर प्रसाद,स0वि0स0	राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में वार्ड सदस्यों के योजनाओं का क्रियान्वयन वार्ड सचिव द्वारा किया जाता है । परन्तु वार्ड सचिव आर्थिक रूप से परेशान है । वार्ड सचिवों को सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी के दर से मानदेय का भुगतान कराने की मांग के संबंध में ।	09.03.21	पंचायती राज विभाग 13/21-1024 19.03.2021	पंचायती राज विभाग द्वारा उत्तर प्राप्त । परिशिष्ट- xxi
22.	श्रीमती मंजु अग्रवाल, स0वि0स0	सात निश्चय योजना पार्ट-02 के अन्तर्गत बिहार राज्य में वार्ड सदस्यों के मद में आवंटित राशि के अभाव में संबंधित विभिन्न कार्यक्रम बाधित है । जिसके कारण जनहित में कार्रवाई की प्रगति नहीं है । अतः राशि विमुक्त कर योजना शत-प्रतिशत क्रियान्वित करने के संबंध में ।	14.12.22	पंचायती राज विभाग 31/22-927 26.12.2022	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-8761, दिनांक-24.01.23,द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट- xxii
23.	श्री सुरेन्द्र मेहता, स0वि0स0	बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघरा प्रखंड चिलहाय पंचायत के खिजिरचक गाँव वार्ड नं0-3 में सरकारी सामुदायिक भवन को तोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है । सरकारी सामुदायिक भवन को तोड़ने वाले दोषी व्यक्ति पर एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग के संबंध में ।	24.03.22	पंचायती राज विभाग 17/22-1739 20.04.2022	पंचायती राज विभाग के ज्ञापांक-10167, दिनांक-25.01.22द्वारा उत्तर प्राप्त परिशिष्ट- xxiii

इन शून्यकाल सूचनाओं के आलोक में प्राप्त विभागीय उत्तरों की समीक्षा शून्यकाल समिति की बैठकों में की गयी जिसे समिति द्वारा संतोषप्रद पाया गया है, जिसके आलोक में इस समिति द्वारा दिनांक 28 जून, 2023 की बैठक में इसे निष्पादित मान लिया गया है ।

निष्कर्ष

क्रमांक 1 से 23 तक पर उल्लिखित माननीय सदस्यों द्वारा सदन में पूछे गये शून्यकाल सूचनाओं को विभागीय उत्तर के आलोक में निष्पादित किया जाता है ।

नीतीश मिश्रा,

सभापति,

शून्यकाल समिति,

बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

ज्ञापांक 3प/वि0स0-10-01/2022-425/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री भरत बिन्द, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल की सूचना संख्या 31/2021 के संबंध में ।

"जिला कैमूर सहित बिहार में नियुक्त 1,14,691 पंचायत वार्ड सचिवों की चार वर्षों से कोई भत्ता या राशि नहीं दिया गया है । भूखे वार्ड सचिवों को स्थायी सरकारी कर्मचारी घोषित कर मानदेय एवं भत्ता का भुगतान जल्द-से-जल्द करावें ।"

विभागीय उत्तर प्रतिवेदन

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, कार्य संचालन नियमावली, 2017 में संगत प्रावधान के आलोक में वार्ड सचिवों का चयन वार्ड सभा के अनुमोदन से किया गया है । जिन्हें स्वैच्छिक रूप से अपने वार्ड के विकास में सहयोग देना है । वार्ड स्तर पर सरकार द्वारा वार्ड में निवास कर रहे किसी व्यक्ति को मानदेय के आधार पर नियोजित एवं स्थायी करने का विचार नहीं है ।

बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के घोषित निर्वाचन परिणाम के आधार पर नये सिरे से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है ।

परिशिष्ट-II

ज्ञापांक 8प/वि-01-08/2022-5734/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री कृष्णनन्दन पासवान, माननीय स०वि०स० से प्राप्त ''शून्यकाल की सूचना''

शून्यकाल की सूचना

पंचायती राज व्यवस्था के अधीन ग्राम कचहरी के पंच, सरपंच का मौलिक अधिकार में हथकड़ी, विधान परिषद् चुनाव में मतदान का अधिकार, न्यायकर्मी जैसे सुविधा, चौकीदार द्वारा सहयोग, पेंशन की सुविधा, विकासात्मक कार्यों में भागीदारी देने का सरकार से मांग करता हूँ ।

सरकारी वक्तव्य

ग्राम कचहरी का गठन नागरिकों के दरवाजे पर सहज, सुलभ एवं सस्ती न्यायिक प्रक्रिया उपलब्ध कराने हेतु किया गया है । ग्राम कचहरी का मुख्य दायित्व गाँव के स्तर पर उद्भूत कतिपय झगड़ों/विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है ताकि उभय पक्षों को पुलिस थाना/व्यवहार न्यायालय नहीं जाना पड़े और मुकदमा लड़ने में लगने वाले अत्यधिक समय और खर्च से बचा जा सके । ग्राम कचहरी को कारावास का दंड देने का अधिकार नहीं है, अतः उन्हें हथकड़ी आदि की सुविधा दिलाने का कोई औचित्य नहीं है ।

भारतीय संविधान एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अधीन ग्रामीण स्तर पर विकास के कार्यों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को सौंपा गया है । ग्राम कचहरी अनन्य रूप से गाँव में ही भारतीय दंड विधान बंगाल लोग द्यूत अधिनियम एवं पशु अतिचार अधिनियम के अधीन किये गये कतिपय अपराधों/आपसी झगड़ों का निपटारा सौहार्दपूर्ण ढंग से करने के उद्देश्य से गठित की गयी है । ग्राम कचहरी को विकास संबंधी उत्तरदायित्व सौंपने का कोई औचित्य नहीं है ।

स्थानीय प्राधिकारियों के निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान परिषद् के निर्वाचन के प्रयोजन के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की अनुसूची IV में ग्राम कचहरी को भी स्थानीय प्राधिकारी के रूप में सूचीबद्ध करने का अनुरोध विभागीय पत्रांक 2451, दिनांक 11 मार्च, 2022 द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग से किया गया है । जबतक उक्त अनुसूची IV में ग्राम कचहरी को स्थानीय प्राधिकारी के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है तबतक ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधान परिषद् चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं मिल सकता ।

ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंच स्वइच्छा से चुनाव लड़ते हैं । वे सरकार द्वारा नियुक्त कर्मी नहीं है । अपनी कार्यावधि के दौरान उनकी सेवाओं के एवज में उन्हें सरकार द्वारा नियत मासिक भत्ता अनुमान्य होता है । न्यायालयों में कार्यरत न्याय कर्मियों जैसी सुविधा ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों को उपलब्ध नहीं करायी जा सकती । ग्राम कचहरी द्वारा निर्गत नोटिस, सम्मन आदि के तामिला के लिये चौकीदारों की सेवा ग्राम कचहरी को उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार के स्तर से निदेश निर्गत है ।

परिशिष्ट-III

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री मुकेश कुमार यादव, स०वि०स० से प्राप्त ''शून्यकाल की सूचना''

शून्यकाल की सूचना

बिहार राज्य अन्तर्गत पंचायत प्रतिनिधियों वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद् सदस्य एवं जिला परिषद् अध्यक्ष को मानदेय भत्ता दुगुना करने तथा पेंशन सुविधा देने की मांग करता हूँ ।

सरकारी वक्तव्य

सरकार द्वारा निर्धारित मासिक भत्ता का ही भुगतान किया जाता है । सरकार मासिक भत्ता बढ़ाने एवं पेंशन सुविधा देने का विचार नहीं रखती है ।

परिशिष्ट-IV

ज्ञापांक 3प/वि0स0-10-04/2022-796/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री मनोज मंजिल, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल की सूचना संख्या 33/2021 के संबंध में ।

बिहार में 1,14,691 वार्ड सचिव विगत चार वर्षों से सात निश्चय योजना में कार्यरत रहे हैं, आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे वार्ड सचिवों को स्थायी कर उचित मानदेय के साथ सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिये जाने की मांग करता हूँ ।

विभागीय उत्तर प्रतिवेदन

बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, कार्य संचालन नियमावली, 2017 में संगत प्रावधान के आलोक में वार्ड सचिवों का चयन वार्ड सभा के अनुमोदन से किया गया है । जिन्हें स्वैच्छिक रूप से अपने वार्ड के विकास में सहयोग देना है । अपने ही गृह क्षेत्रान्तर्गत निवास कर रहे किसी व्यक्ति को स्थापित प्रावधानानुरूप मानदेय के आधार पर नियोजित एवं स्थायी करने का कोई विचार सरकार अथवा विभागीय स्तर पर लम्बित/प्रक्रियाधीन नहीं है ।

बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के घोषित निर्वाचन परिणाम के आधार पर नये सिरे से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाना प्रासंगिक है ।

परिशिष्ट-V

ज्ञापांक 8प/वि-01–06/2021–5621/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री विजय कुमार, स०वि०स० से प्राप्त ''शून्यकाल की सूचना''

शून्यकाल की सूचना

पंचायत जन-प्रतिनिधि भी जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं और जन-कल्याण में अपनी अहम भागीदारी निभाते हैं ।

अतएव पंचायत प्रतिनिधियों के हित में सांसद और विधायक के तौर पर पद के अनुरूप पेंशन योजना शुरू किया जाय ।

सरकारी वक्तव्य

सरकार द्वारा निर्धारित मासिक भत्ता का ही भुगतान किया जाता है । सरकार मासिक भत्ता बढ़ाने एवं पेंशन योजना शुरू किये जाने का विचार नहीं रखती है ।

परिशिष्ट-VI

ज्ञापांक 8प/वि-01-07/2021-5624/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री पवन कुमार जासवाल, माननीय स०वि०स० से प्राप्त "शून्यकाल की सूचना"

शून्यकाल की सूचना

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के मुखिया, उप-मुखिया, वार्ड सरपंच, उप-सरपंच, पंच, प्रमुख, उप-प्रमुख पंचायत समिति सदस्य, जिप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जिला पार्षद नगर निकाय के मेयर-उप-मेयर मुख्य-पार्षद के मानदेय को महंगाई को देखते हुये तीन गुणा राज्य सरकार से शीघ्र करने की मांग करता हूँ ।

सरकारी वक्तव्य

राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियत मासिक भत्ता का भुगतान किया जाता है । सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

परिशिष्ट-VII

ज्ञापांक 8प/वि-01–11/2021–5732/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री राज कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त ''शून्यकाल की सूचना''

शून्यकाल की सूचना

बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र का मासिक मानदेय वर्ष 2015 से 7000 (सात हजार) रुपये मात्र है। इस महंगाई के दौर में इनकी योग्यता एवं पद के अनुरूप सम्मानजनक मानदेय वृद्धि और सेवा स्थायी करने की मांग करता हूँ।

सरकारी वक्तव्य

राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-VIII

ज्ञापांक 3प/वि0स0-10-03/2022-795/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री राजवंशी महतो, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल की सूचना संख्या 31/2021 के संबंध में ।

बेगूसराय जिला सहित राज्य के सभी जिलों में कार्यरत पंचायत वार्ड सचिवों का विगत वर्ष से मानदेय का भुगतान नहीं होने से भुखों मरने पर विवश हैं तथा वे सब आंदोलन कर रहे हैं, अतएव उनके बकाये मानदेय का भुगतान जनहित में अविलम्ब कराया जाये ।

विभागीय उत्तर प्रतिवेदन

बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, कार्य संचालन नियमावली, 2017 में संगत प्रावधान के आलोक में वार्ड सचिवों का चयन वार्ड सभा के अनुमोदन से किया गया है । जिन्हें स्वैच्छिक रूप से अपने वार्ड के विकास में सहयोग देना है । अपने ही गृह वार्ड क्षेत्रान्तर्गत निवास कर रहे वार्ड सभा द्वारा चयनित वार्ड सचिवों को स्थापित प्रावधानानुरूप मानदेय देने का कोई विचार सरकार अथवा विभागीय स्तर पर लम्बित/प्रक्रियाधीन नहीं है ।

बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के घोषित निर्वाचन परिणाम के आधार पर नये सिरे से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाना प्रासंगिक है ।

परिशिष्ट-IX

ज्ञापांक 3प/वि0स0-10-02/2022-797/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री संदीप सौरभ, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल की सूचना संख्या 32/2021 के संबंध में ।

पंचायती राज विभाग द्वारा 2016-17 में 1,14,691 वार्ड सचिवों की बहाली हुई थी । इनसे सरकार ने बिना किसी मानदेय के चार साल तक विभिन्न योजनाओं में काम लिया । अब इन्हें हटाने की तैयारी चली रही है ।

सभी वार्ड सचिवों को मानदेय के साथ स्थायी करने की मांग करता हूँ ।

<u>विभागीय उत्तर प्रतिवेदन</u>

बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, कार्य संचालन नियमावली, 2017 में संगत प्रावधान के आलोक में वार्ड सचिवों का चयन वार्ड सभा के अनुमोदन से किया गया है । जिन्हें स्वैच्छिक रूप से अपने वार्ड के विकास में सहयोग देना है । अपने ही गृह वार्ड क्षेत्रान्तर्गत निवास कर रहे किसी व्यक्ति को स्थापित प्रावधानानुरूप मानदेय के आधार पर नियोजित एवं स्थायी करने का कोई विचार सरकार अथवा विभागीय स्तर पर लम्बित/प्रक्रियाधीन नहीं है ।

बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के घोषित निर्वाचन परिणाम के आधार पर नये सिरे से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाना प्रासंगिक है ।

परिशिष्ट-X

ज्ञापांक 8प/वि-01–18/2022–6560/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री सुनील मणि तिवारी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त ''शून्यकाल की सूचना संख्या 19/2022''

शून्यकाल की सूचना

वर्ष 2007 में राज्य में संविदा के आधार पर ग्राम कचहरी सचिव को नियोजित की गई थी । जिनकी मानदेय छः हजार है । इतनी महंगाई में मात्र छः हजार रुपये से उनका भरण-पोषण नहीं हो पाता है ।

अतः सरकार से उनकी स्थायी नियुक्ति कर मानदेय बढ़ाने की मांग करती हूँ ।

सरकारी वक्तव्य

राज्य सरकार के पास ग्राम कचहरी सचिवों को स्थायी करने एवं मानदेय वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

परिशिष्ट-XI

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री सूर्यकान्त पासवान, माननीय स०वि०स० से प्राप्त "शून्यकाल की सूचना संख्या 20/2022"

शून्यकाल की सूचना

पिछले 14 वर्षों से राज्य के ग्राम कचहरियों में अपनी सेवा देने वाले कचहरी सचिव को मात्र 6 हजार मानदेय दिया जाता है, कचहरी सचिव को स्थायी करने के साथ वेतनमान एवं नगर में विलिन हुये पंचायत के सचिवों को अन्य पंचायत में समायोजित करने की मांग करता हूँ ।

सरकारी वक्तव्य

राज्य सरकार के पास ग्राम कचहरी सचिवों को स्थायी करने एवं मानदेय वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2014 की कंडिका 8(5) के अनुसार ग्राम कचहरी सचिव के कार्यावधि के संबंध में अंकित प्रावधान निम्नवत् है:-

संविदा पर नियोजित ग्राम कचहरी सचिव की कार्यावधि ग्राम कचहरी की कार्यावधि तक के लिये होगी । ग्राम कचहरी की कार्यावधि पूर्ण होने पर ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा पर नियोजित अभ्यर्थी की संविदा स्वत: समाप्त हो जायेगी ।

सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 12534, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 एवं संकल्प संख्या 1003, दिनांक 22 जनवरी, 2021 में वर्णित है कि पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत न्यायमित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा नियोजन की अवधि के संदर्भ में वर्तमान में प्रवृत नियमावली का प्रावधान लागू रहेगा । नगर निकाय में विलीन हुये ग्राम कचहरी के सचिवों का अन्य ग्राम पंचायतों के कचहरी में समायोजित करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 4320, दिनांक 14 मई, 2022 के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों एवं सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निम्नवत् निदेश संसूचित है:-

"नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित कर लिये जाने फलस्वरूप जिन ग्राम कचहरियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, वैसी ग्राम कचहरियों में कार्यरत सचिवों की कार्यावधि समाप्त समझी जायेगी । वैसे व्यक्तियों को नये नियोजन के समय पूर्व कार्यानुभव के आधार पर दिये जाने वाले वेटेज का लाभ प्राप्त हो सकेगा" ।

परिशिष्ट-XII

ज्ञापांक 4प/प्रश्न-90–31/2022–7064/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री ललन कुमार, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल की सूचना का उत्तर प्रतिवेदन ।

''पीरपैंती और कहलगाँव प्रखंड के कार्यपालक सहायक, पंचायत सचिव, आवास सहायक, रोजगार सेवक, कृषि सलाहकार, अपने-अपने पंचायत में रहने की बजाय प्रतिदिन प्रखंड मुख्यालय में जमावड़ा लगाकर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है । मैं सरकार में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करता हूँ'' ।

सरकार का वक्तव्य

जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 1207, दिनांक 28 जून, 2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्यपालक सहायक/पंचायत सचिव/आवास सहायक/ रोजगार सेवक/कृषि सलाहकार अपने-अपने आवंटित पंचायत में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर सम्पादित करते हैं एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में कार्यहित में प्रखंड मुख्यालय में भी उपस्थित होकर कार्यालय के कार्य का निष्पादन करते हैं । किसी भी कर्मी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है ।

परिशिष्ट-XIII

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्रीमती मंजु अग्रवाल, स०वि०स० से प्राप्त "शून्यकाल की सूचना संख्या 01/2022"

शून्यकाल की सूचना

बिहार में जितने भी ग्राम पंचायत कचहरी है, जिनका उन्नयन नगर पंचायत में होने के पश्चात् वहां संविदा पर कार्य करने वाले न्यायमित्र सचिवों का समायोजन उचित मानदेय एवं उम्र सीमा बढ़ाने की मांग करती हूँ ।

सरकारी वक्तव्य

ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2014 के नियम 3 के अनुसार प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिये एक सचिव का संविदा के आधार पर नियोजन किये जाने का प्रावधान है ।

उक्त नियम के कंडिका-4 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर जिला स्तर पर आरक्षण के लिये लागू नियम ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन के लिये प्रभावी होंगे । उक्त नियम 6 के उप-नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम कहचरी स्तर पर निम्नरूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन किया जायेगा ।

(क) ग्राम कचहरी के सरपंच-अध्यक्ष

(ख) ग्राम कचहरी के उप-सरपंच-सदस्य

(ग) प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी-सदस्य सचिव

नियम 8 के उप-नियम 5 संविदा पर नियोजित ग्राम कचहरी सचिव के कार्यवधि ग्राम कचहरी की कार्यवधि तक के लिये होगी । ग्राम कचहरी की कार्यवधि पूर्ण होने पर ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा पर नियोजित अभ्यर्थी की संविदा स्वतः समाप्त हो जायेगी । नियम 6 (4) के अनुसार पुनः नियोजन हेतु ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बितायी गयी प्रतिपूर्ण वर्ष की सेवा के लिये ढाई प्रतिशत अंक देय होगा । प्रतिपूर्ण वर्षों को गणना के बाद यदि अवशेष अवधि छः माह से अधिक है तो उसे एक वर्ष मानते हुये उस अवधि के लिये ढाई प्रतिशत देय होगा । परन्तु इस प्रकार प्राप्त भारांक (Weinghtage) 12.5 प्रतिशत से अनधिक होगा ।

बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2007 के नियम 3 के अनुसार जिले के प्रत्येक ग्राम कचहरी अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता करने के लिये एक न्यायमित्र की संविदा पर नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है । उक्त नियम 6(6) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम कहचरी स्तर पर ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन हेतु तैयार पैनल का अनुमोदन निम्न गठित समिति द्वारा किया जायेगा ।

(क) ग्राम कचहरी के सरपंच-अध्यक्ष

(ख) ग्राम कचहरी के अन्य सभी पंच सदस्य

(ग) ग्राम कचहरी सचिव-सदस्य सचिव

गठित समिति की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी नामित नोडल पदाधिकारी का फैसिलिटेटर के रूप में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे ।

नियम 8(2) के अनुसार ग्राम कचहरी की कार्यवधि पूर्ण होने के साथ न्यायमित्र के पद पर संविदा पर नियोजित अभ्यर्थी की संविदा स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

परिशिष्ट-XIV

ज्ञापांक 3प/वि0स0-10-132/2022-4634/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्रीमती प्रतिमा कुमारी, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त ''शून्यकाल की सूचना'' के संबंध में ।

पंचायत वार्ड सचिव 2017 से मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत कराये जा रहे कामों का कार्यान्वयन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है ।

अतः पंचायत वार्ड सचिवों को मानदेय दिये जाने की मांग करती हूँ ।

विभागीय उत्तर प्रतिवेदन

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, कार्य संचालन नियमावली, 2017 में संगत प्रावधान के आलोक में वार्ड सचिवों का चयन वार्ड सभा के अनुमोदन से किया गया है । जिन्हें स्वैच्छिक रूप से अपने वार्ड के विकास में सहयोग देना है । अपने ही गृह वार्ड क्षेत्रान्तर्गत निवास कर रहे वार्ड सभा द्वारा चयनित वार्ड सचिवों को स्थापित प्रावधानानुरूप मानदेय देने का कोई विचार सरकार अथवा विभागीय स्तर पर लम्बित/प्रक्रियाधीन नहीं है ।

बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के घोषित निर्वाचन परिणाम के आधार पर नये सिरे से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाना प्रासंगिक है ।

विश्वासभाजन,

मो० बलागउद्दीन,

संयुक्त सचिव ।

परिशिष्ट-XV

ज्ञापांक 8प/वि0-01-15/2022-6562/पं0रा0

पंचायती राज विभाग

बिहार सरकार

श्रीमती शालिनी मिश्रा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त "शून्यकाल की सूचना संख्या 21/2022"

शून्यकाल की सूचना

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के अंतर्गत आजादी के पूर्व का भवन, जिसमें राजस्व कचहरी चल रहा था, को अचनाक 6 मार्च, 2022 को बिना समक्ष प्राधिकार से अनुमति लिये कार्यपालक पदाधिकारी, केसरिया नगर पंचायत द्वारा तोड़ दिया गया है ।

अत: जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग करती हूँ ।

सरकारी वक्तव्य

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, केसरिया ने अपने पत्रांक 395, दिनांक 22 जून, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि नगर पंचायत, केसरिया के सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के प्रस्ताव संख्या 07 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर पंचायत, केसरिया का पुराना कार्यालय भवन और ग्राम कचहरी भवन को तोड़कर नगर पंचायत, केसरिया में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित नागरिक सुविधा, उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सम्राट अशोक भवन का निर्माण किया जायेगा । विभागीय मानक, अनुसार सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु 19X33 मी० (लगभग 11 डीसमील) जमीन की आवश्यकता होती है । ग्राम कचहरी भवन, नगर पंचायत, केसरिया पुराना कार्यालय व पुराना सभागार के बीच अवस्थित, काफी जर्जर खपड़ैल का था, (फोटोग्राफ संलग्न) सशक्त स्थायी समिति नगर पंचायत, केसरिया द्वारा ग्राम कचहरी कार्यालय को उसी प्लॉट में उक्त भवन से सटे नगर पंचायत केसरिया का पुराना सभागार, जो कंक्रीट का है, में शिफ्ट कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया । तदालोक में अंचलाधिकारी केसरिया को कार्यालय पत्रांक 584, दिनांक 9 दिसम्बर, 2021 से सूचित किया गया है एवं उन्हें कई बार दूरभाष/व्यक्तिगत रूप से स्मार भी किया गया । कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण प्रमंडल, मोतिहारी से कार्यालय के पत्रांक 598, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 द्वारा नगर पंचायत पुराना कार्यालय व ग्राम/राजस्व कचहरी भवन की वस्तुस्थिति व मूल्यांकन रिपोर्ट हेतु पत्राचार किया गया । उनके द्वारा पत्रांक 134, दिनांक 7 फरवरी, 2022 से कार्यालय को उक्त दोनों भवन (नगर पंचायत पुराना कार्यालय व ग्राम कचहरी) की वस्तुस्थिति व मूल्यांकन रिपोर्ट प्रतिवेदित है । तदोपरांत कार्यालय द्वारा निविदा के माध्यम से दोनों भवन को तोड़ने की कार्रवाई की गई है ।

2. ग्राम कचहरी भवन से सटे दक्षिण और उत्तर में क्रमश: नगर पंचायत, केसरिया पुराना कार्यालय तथा सभागार था । नगर पंचायत, केसरिया का गठन वर्ष 2007-08 में किया गया है । इसके गठन से पूर्व उक्त तीनों भवनों (नजरी नक्शा संलग्न) में ग्राम पंचायत कार्यालय संधारित था तथा ग्राम/राजस्व कचहरी में पंच/सरपंच इत्यादि का कार्यालय था । नगर पंचायत के गठन के उपरांत ग्राम पंचायत के स्वामित्व का सभी भवन/कार्यालय स्वत: नगर पंचायत के स्वामित्व का हो जाता है ।

3. जिला स्तरीय समीक्षा बैठक दिनांक 07 मार्च, 2022 को उक्त भवन तोड़ने के संबंध में जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण महोदय तथा अपर समाहर्ता (राजस्व) पूर्वी चम्पारण महोदय द्वारा पृच्छा उपरांत उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये कार्यालय के पत्रांक/ ज्ञापांक 130, दिनांक 8 मार्च, 2022 द्वारा संसूचित किया गया है ।

4. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 336 (परिसंकटमय भवन को हटाने का आदेश की शक्ति) के तहत नगरपालिका के कार्यपालक पदाधिकारी के जीर्ण-शीर्ण अवस्था वाले भवन की स्थिति में भवन स्वामी को लिखित सूचना उपरांत, भवन को ढ़हाने की शक्ति प्रदत्त है । उक्त भवन की वस्तुस्थिति से अंचलाधिकारी केसरिया को ससमय सूचित किया गया तथा घटनोत्तर प्रभाव से वरीय पदाधिकारी को भी सूचित किया गया है ।

5. वर्तमान में पूर्वनिर्मित नगर पंचायत, केसरिया के पुराने कार्यालय भवन तथा ग्राम कचहरी भवन की जगह पर विकास योजना के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित सम्राट अशोक भवन निर्माणाधीन है तथा उसी प्लॉट में तोड़े गये ग्राम कचहरी भवन से ठीक सटे (उत्तर दिशा में) नगर पंचायत, केसरिया का पुराना सभागार भवन (जो R-C-C का है और लगभग पुराने ग्राम कचहरी भवन के आकार का ही है) में ग्राम कचहरी कार्यालय सुचारू रूप से कार्यरत है । उपरोक्त वर्णित संपूर्ण कार्य बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के सुसंगत धाराओं सशक्त स्थायी समिति नगर पंचायत, केसरिया के निदेश/पर्यवेक्षण में तथा सरकार के नगर निकाय के विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी योजना के ससमय क्रियान्वयन हित को देखते हुये संपादित किया गया है ।

परिशिष्ट-XVI

ज्ञापांक-8प/वि0-01-09 / 2022-5731/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

डॉ० संजीव कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त "शून्यकाल की सूचना"

शून्यकाल की सूचना

बिहार राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों (मुखिया-2500, पंचायत समिति सदस्य 1000, वार्ड सदस्य 500) रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है । इस महंगाई के दौर में यह मानदेय जन-प्रतिनिधि के साथ मजाक है । मैं पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिमाह मानदेय बढ़ाने तथा अधिकारियों द्वारा सम्मान देने की मांग करता हूँ ।

सरकारी वक्तव्य

सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान नियम मासिक भत्ता त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को भुगतान किया जाता है । मासिक भत्ता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिकारियों द्वारा सम्मान नहीं दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अधीन त्रिस्तरीय पंचायतों एवं उनसे संबंध अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य स्पष्ट रूप से रेखांकित है । एक संस्थाओं के प्रधान के सामान्य निदेशन एवं नियंत्रण के अधीन संबंधित अधिकारी पंचायत द्वारा लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करते हैं ।

परिशिष्ट-XVII

ज्ञापांक-4प/प्रश्न-90-13/2021-3529/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री विजय कुमार खेमका, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल की सूचना

प्रश्न—पूर्णियां जिला सहित राज्य में लगभग तीन लाख ग्राम रक्षादल के जवान पंचायती राज के अधीन सरकारी योजनाओं सामाजिक, धार्मिक उत्सवों में सुरक्षा सेवा देते हैं परन्तु इन्हें मानदेय या सहयोग राशि नहीं मिलता है ।

अत: मैं सरकार से ग्राम रक्षादल के सराहनीय कार्य हेतु इन्हें मानदेय तथा वर्दी भत्ता देने की मांग करता हूँ ।

उत्तर—वस्तुस्थिति यह है कि बिहार ग्राम रक्षा दल (संगठन, कर्तव्य एवं व्यवहार) नियमावली, 2004 के नियम 3 के उप-नियम (3) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत के अधीन ग्राम रक्षा दल एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में कार्य करता है । दल के सभी सदस्यों क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं दलपति की कार्यावधि 5 वर्षों की होती है । चूँकि ग्राम पंचायत के 18 से 30 वर्ष के बीच के सभी योग्य व्यक्ति ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं एवं यह एक स्वयंसेवी संगठन है । अतएव इनके मानदेय का लाभ तथा वर्दी भत्ता देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

परिशिष्ट-XVIII

ज्ञापांक-3प/वि0स0-10-66/2021-424/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री पवन कुमार जायसवाल, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त शून्यकाल की सूचना संख्या 09/2021 के संबंध में ।

राज्य में मुख्यमंत्री नल-जल योजना में वार्ड सचिव को अनुरक्षक रखने में प्राथमिकता देने के विभागीय निर्देश को दरकिनार कर सैकड़ों जगह अन्य लोगों को अनुरक्षक रखा गया है ।

मैं राज्य सरकार से वार्ड सचिव को अनुरक्षक के रूप में रखने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग करता हूँ ।

विभागीय उत्तर प्रतिवेदन

वस्तुस्थिति यह है कि पंचायती राज विभाग अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल/गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जा रहा है । ''बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली-2017'' के नियम-16(2) में वर्णित प्रावधान के आलोक में वार्ड सदस्य पदेन अध्यक्ष होते हैं एवं उक्त समिति के सात सदस्यों में से एक सदस्य के रूप में वार्ड सचिव भी पदेन सदस्य होते हैं ।

विभागीय संकल्प सं० 2935, दिनांक 22 जून, 2021 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण एवं रख-रखाव नीति के तहत प्रस्तावित तथ्य है कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की व्यवस्था होगी, जिनका कर्तव्य पेयजल योजना को सुचारू रूप से संचालन करना है । सामान्यत: वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक के रूप में कार्य करेंगे । वार्ड सदस्य की अनिच्छा पर वार्ड सभा, वार्ड सचिव को अनुरक्षक बना सकेगी ।

परिशिष्ट-XIX

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री राजवंशी महतो, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त ''शून्यकाल की सूचना'' संख्या 13/2021-1023 के संबंध में ।

बेगूसराय जिला में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नल-जल योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुरक्षकों की बहाली में भाई-भतीजावाद, रिश्वतखोरी एवं अन्य धांधलियों पर आम नागरिकों के हितार्थ प्रतिबंध लगाये जाने के संबंध में ।

विभागीय उत्तर प्रतिवेदन

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 2935, दिनांक 22 जून, 2021 के आलोक में सामान्यतया वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक के रूप में नामित है । बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के घोषित निर्वाचन परिणाम के आधार पर नये सिरे वार्ड सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं एवं उक्त निर्वाचन परिणाम के आधार पर अनुरक्षकों को सौंपे गये कार्य दायित्व के निर्वहन हेतु उत्तरदायी है । अनुरक्षकों के चयन में पायी गयी अनियमितता के विरुद्ध जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में अनुशासनिक/विधिक कार्रवाई प्रावधानित है ।

परिशिष्ट-XX

ज्ञापांक-8प/वि0-01-05/2021-6534/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री संजय सरावगी, स०वि०स० से प्राप्त "शून्यकाल की सूचना संख्या 19/2021"

शून्यकाल की सूचना

दरभंगा समेत राज्य के अधिकांश जिलों में ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 24 माह का बाकी है, उनको मानदेय भी 6000 रुपये प्रतिमाह मिलता है जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, अविलंब बकाया मानदेय का भुगतान एवं मानदेय में बढ़ोतरी की मांग करता हूँ ।

सरकारी वक्तव्य

ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्रों के नियत मानदेय/नियत फीस भुगतान हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष राशि आवंटित कर जिला पंचायत राज पदाधिकारी को भेजा जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभागीय आवंटनादेश संख्या 24 (आ०), दिनांक 8 अगस्त, 2019 द्वारा दरभंगा जिला में कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव (274) एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र (284) को कुल रु०5,81,28,440,00 (पाँच करोड़ एकासी लाख अठाईस हजार चार सौ चालीस रुपये) मात्र की राशि आवंटित की गयी है । आवंटित राशि की भुगतान किया जा चुका है ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय आवंटनादेश संख्या 14 (आ), दिनांक 8 मई, 2020 द्वारा दरभंगा जिला में कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव (274) एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र (284) को कुल रु०2,54,24,000.00 (दो करोड़ चौवन लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की गयी है । आवंटित राशि की भुगतान किया जा चुका है ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 19 (स्वी०), दिनांक 14 जुलाई, 2021 द्वारा दरभंगा जिला में कार्यरत ग्राम कचहरी सचिव (274) एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र (284) को कुल रु०2,54,24,000.00 (दो करोड़ चौवन लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की गयी है । आवंटित राशि DBT/CFMS के माध्यम से भुगतान किया जायेगा ।

उक्त आवंटित राशि से ग्राम कचहरी सचिव के भुगतान हेतु स्पष्ट निर्देश किया गया है ।

परिशिष्ट-XXI

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त ''शून्यकाल की सूचना'' संख्या 13/2021-1024 के संबंध में ।

राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में वार्ड सदस्यों के योजनाओं का क्रियान्वयन वार्ड सचिव द्वारा किया जाता है । परन्तु वार्ड सचिव आर्थिक रूप से परेशान है । वार्ड सचिवों को सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी के दर से मानदेय का भुगतान कराने की मांग के संबंध में ।

विभागीय उत्तर प्रतिवेदन

वस्तुस्थिति यह है कि ''बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, कार्य संचालन नियमावली, 2017'' में संगत प्रावधान के आलोक में वार्ड सचिवों का चयन वार्ड सभा के अनुमोदन से किया गया है । जिन्हें स्वैच्छिक रूप से अपने वार्ड के विकास में सहयोग देना है । अपने ही गृह वार्ड क्षेत्रान्तर्गत निवास कर रहे वार्ड सभा द्वारा चयनित वार्ड सचिवों को स्थापित प्रावधानानुरूप मानदेय देने का विचार सरकार अथवा विभागीय स्तर पर लम्बित/प्रक्रियाधीन नहीं है ।

बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के घोषित निर्वाचन परिणाम के आधार पर नये सिरे से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाना प्रासंगिक है ।

परिशिष्ट-XXII

ज्ञापांक-3प0/वि0स0-10-01/2023-876/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

श्रीमती मंजु अग्रवाल, माननीय सदस्या, बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला शून्यकाल की सूचना संख्या-31/22 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में ।

सात निश्चय योजना पार्ट-02 के अंतर्गत बिहार राज्य में वार्ड सदस्यों का मद में आवंटित राशि के अभाव में संबंधित विभिन्न कार्यक्रम बाधित है, जिसके कारण जनहित में विकासात्मक कार्रवाई की प्रगति नहीं है ।

अतः राशि विमुक्त कर योजना शत-प्रतिशत क्रियान्वित करने की मांग करती हूँ ।

विभागीय उत्तर प्रतिवेदन

वस्तुस्थिति यह है कि सात निश्चय योजना पार्ट-02 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का अनुरक्षण वर्गीकृत है ।

वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को उक्त मद में 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राशि से संबंधित राज्यादेश संख्या 27 (रा०), दिनांक 13 सितम्बर, 2021 एवं राज्य योजना मद से 29(स्वी०), दिनांक 11 अगस्त, 2022 द्वारा उक्त पेयजलापूर्ति व्यवस्था के अनुरक्षण हेतु सभी जिला इकाई को प्रथम छः माह के लिये राशि उपबंधित की गयी है एवं शेष छः माह के राशि उपबंध का कार्य प्रक्रियागत है ।

उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प संख्या 2935, दिनांक 22 जून, 2021 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत सतत् जलापूर्ति हेतु रु०24,000/वार्षिक अनुदान की राशि राज्य सरकार की ओर से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में अलग से दिये जाने का प्रावधान है ।

परिशिष्ट-XXIII

ज्ञापांक 2प0/वि0स0-01–45/2022–10167/पं0रा0

पंचायती राज विभाग

बिहार सरकार

श्री सुरेन्द्र मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा प्राप्त शून्यकाल की सूचना सं० 17/22 का उत्तर का अनुपालन के संबंध में ।

बेगूसराय जिलान्तर्गत के तेघरा प्रखंड चिल्हाय पंचायत के खिजिरचक गाँव वार्ड नं० 03 में सरकारी सामुदायिक भवन को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है ।

अतः सरकारी सामुदायिक भवन को तोड़ने वाले दोषी व्यक्ति पर एफ०आई०आर० दर्ज कर कार्यवाही करने के लिये सरकार से मांग करता हूँ ।

सरकारी वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 1732, दिनांक 15 सितम्बर, 2022 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी के पत्रांक 1001, दिनांक 9 जून, 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा के प्रतिवेदनानुसार ग्राम पंचायत चिल्हाय के खिजिरचक में सामुदायिक भवन श्री गुलाब जी के द्वारा तोड़ा जा रहा था जिसकी सूचना मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी, तेघड़ा द्वारा रोक दिया गया । परंतु तबतक सामुदायिक भवन के छत के कुछ हिस्सों को तोड़ा जा चुका था । स्थल पर वर्तमान में कोई तोड़-फोड़ अथवा पुनः निर्माण का कोई कार्य चलता हुआ नहीं पाया गया है । मो० मिसवाह असरफ उर्फ गुलाब जी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से मुतवली बनाये गये हैं । उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है । जिसका प्राथमिकी सं० 154/22, दिनांक 7 जून, 2022 है ।

बि0स0मु0 39–(एल0ए0). 2023–24 डी0टी0पी0–300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2023